







न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:- 127 / 2019

तारीखरजु:- 17-10-19

उनवान:- पुष्पा वनाम लोकेश वगै०

दावा वावत इस्तकरारहक, स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत घारा 88,188 आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम	
	<p>वादी की और से श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट ने दावा वावत इस्तकरारहक, स्थायी निषेधाज्ञा घारा 88,188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 14.11.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>	<p>5094-99 17-10-19</p>
<p>14.11.19</p>	<p>वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं. 1, 2, 3 स्वयं उपस्थित प्रतिवादी नं. 4, 5, 6 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं की। मेरे पिछले एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है श्री विष्णुदेव सुरेश चन्द्र शर्मा A.W. ने महेरा मीना एवं परमाती गौड़ गौड़राम की ओर से प्रार्थना फा 01 R.10 CPC कालात नामा के साथ पेश किया। इस प्रार्थना पत्र की प्रति वकील वादी को दिलवाई। काले जबाब दावा एवं द. 01 R.10 का जबाब पेश करने दिनांक 5.12.19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p>लोकेश निष्पत्तिका</p>
<p>5.12.19</p>	<p>वकूलाय उप०। द. 10 का जबाब पेश करने दिनांक 6.1.20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>	
<p>6.1.20</p>	<p>वकूलाय उप०। गतानुसार द. 10 का जबाब पेश करने दिनांक 17.2.20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>	
<p>13.1.20</p>	<p>वादीया एवं वादीया वकील ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वावत पत्रावली तलब कर दावा खारिज करने पेश किया जिस पर पत्रावली तलब की गई। वादीया व वादीया के वकील ने दावा Not Press कर खारिज करने का कथन किया। अतः यह दावा Not-Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p>Not Press  13-1-20</p>

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

